

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 15/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/71

उनवान

1. ईन्दरलाल पिता चेना जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. भगवान मेघवाल पिता कान्हा जी जाति मेघवाल, उम्र वयरक, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. मोहनबाई पुत्री चमना जी पत्नी नाथु जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी रापचा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
4. रतनलाल पिता चेना जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
5. रामा पिता चमना जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
6. लोगर उर्फ मांगीलाल पिता चेना जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
7. शोभालाल पिता चेना जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
8. मन्नलाल माता रव० मोतडीबाई (पिता रोड़ा) जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी केसुली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
9. भंवरलाल माता स्व० मोतडीबाई (पिता रोड़ा) जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी केसुली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
10. छगू माता स्व० मोतडीबाई (पिता रोड़ा) जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी केसुली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पिता स्व० उंकारिया उर्फ उंकार जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. रतनलाल पिता स्व० उंकारिया उर्फ उंकार जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. छगनलाल पिता स्व० उंकारिया उर्फ उंकार जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
4. सुखलाल पिता स्व० उंकारिया उर्फ उंकार जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)



5. दाखु पिता स्व० उंकारिया उर्फ उंकार जी पत्नी कशाल जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. कनी पिता स्व० उंकारिया उर्फ उंकार जी पत्नी देवीलाल जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
7. अणसी पिता स्व० उंकारिया उर्फ उंकार जी पत्नी अमरा जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी नेगडिया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
8. कंकू पुत्री लालुराम जी पत्नी गणपत जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी वारणी, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
9. केसरबाई पुत्री लालुराम पत्नी गणपत जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी शिशवी, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
10. कालु पिता धन्ना जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
11. किशनलाल पिता लालुराम जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
12. भेरूलाल पिता लालुराम जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
13. लक्ष्मण पिता गमेरा जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
14. सोहनीबाई पत्नी स्व० लालुराम जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
15. गोरधन पिता स्व० नाथु जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
16. हीरालाल पिता स्व० नाथु जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
17. सुखलाल पिता स्व० नाथु जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डूथल, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
18. कमली पुत्री नाथु जी पत्नी धनसुख जी जाति बलाई, उम्र वयस्क, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, जिला उदयपुर (राज०)
20. पटवारी, पटवार हल्का सिन्दु, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :- 1. श्री उदयलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 24.02.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा माण्डुथल, पटवार हल्का सिन्दु, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) में आराजी नम्बर 504 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, 505 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, 509 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, 518 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, 519 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, 520

रकबा 0.0728 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 0.6313 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हम प्रार्थीगण एवं खातेदार मोतड़ीबाई पिता चमना बलाई के नाम पर संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। खातेदार मोतड़ीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रार्थी संख्या 8 से 10 तक हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ोस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए हमारी कृषि भूमि की पूर्व एवं दक्षिण दिशाओं की सीमा की पत्थरगड़ी करा सीमांकन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि की पश्चिम एवं दक्षिण दिशाओं की सीमा की पत्थरगड़ी कराई जाकर स्थायी सीमांकन कराया जावे तथा विपक्षी संख्या 1 से 18 को पाबन्द किया जावे कि वो हमारी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुँचावे, बाड-वृक्ष नहीं काटे और हमारी कृषि भूमि का हम प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कच्चा / पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावे। साथ ही हमारी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 से 18 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी हम प्रार्थीगण को दिलाया जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 19, 20 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दु तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 139 पर दर्ज आराजी नम्बर 504, 505, 509, 518, 519, 520 किता 6 कुल रकबा 0.6313 भूमि प्रार्थीगण के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की

पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा माण्डुथल पटवार हल्का सिन्दु तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 139 पर दर्ज आराजी नम्बर 504, 505, 509, 518, 519, 520 किता 6 कुल रकबा 0.6313 भूमि की पश्चिम एवं दक्षिण दिशाओ का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगड़ी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। उभय पक्षो का पत्थरगड़ी करने के पश्चात कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर